दिनांक ________

सेवा मे

जिला कलेक्टर/डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट/म्युनिसिपल कमिशनर/हेल्थ सेक्रेटरी

पता -

विषय : आने वाले कोविद 19 वैक्सीन में गाय, सूअर और aborted बेबी के बॉडी पार्ट रहने के वजह से हमें धर्म के आधार पे छुट मिलने के लिए,और राज्य ,जिला स्तर में वैक्सीन कोर्ट की स्थापना के लिऐ

महोदय,

में --------------------नाम---- , ------पता---का / की निवासी हूं । आने वाले कोविद 19 वैक्सीन में गाय, सूअर, aluminium, mercury, और aborted, गर्भपात किए गए बेबी के बॉडी पार्ट रहते है । में ------------------ धर्मं से हु और हमारे धर्मं में इस तरह से इन चीजों का सेवन पूरी तरह से पाप माना जाता है । मुझे अपनेशरीरमें जानवरों का खून लेके अपना धर्म भ्रष्ट नहि करना।

,अतः कृपया करके मुझे और मेरी फैमिलीज़ को, बच्चो को इस टीकाकरण से, जो हमारा धर्मं भ्रष्ट कर रहा है उससे हमें छुट मिले ।

www.biswaroop.com/fbs

इसी तरह की एक जनहित याचिका औरंगाबाद हाई कोर्ट में डॉ. विलास जगदाले vs भारत सरकार (15232/2019) दाखिल है, जहा पर वैक्सीन कोर्ट establish करते हुए धर्म के आधार पे छुट मिले, जो की अमेरिका में 1986 से कायदा लागु है (Religious and Philosophical Exemption act), वो यहाँ पे लगाते हुए हमें छुट मिलनी चाहिए । भारत संविधान के आर्टिकल,21- 25 ,25-28 में भी Right to do Religious Beliefs इसके बारे में लिखा है । सविधान का अनुच्छेद 359,21 को आपातकाल में भी खत्म नहीं किया जा सकता हैं।

RTI numbers MOHFW/R/E/21/00630 के अनुसार वैक्सिन लेना स्वैच्छिक है

वैक्सीन से हमारे सविधान के मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से 30 बुरी तरह प्रभावित होते है

न्यूरेमबर्ग कोड आर्टिकल 6 सेक्शन 3 के तरह कोई भी सरकार मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फोर्स नही कर सकती है

वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे रहते है इसकी authenticity सुप्रीम कोर्ट के मेहता vs भारत सरकार (558/2012) केस में सामने आई है, जिसमे 2013में भारत की राज्यसभा ने भी मोहर लगायी है । (Parliamentary Rajyasabha Report on hpv vaccination)

vaccine का विकल्प आयुर्वेद , होमियोपैथी में है पहले से ।कोई भी एलोपैथी चिकित्सा के लिए फोर्स नही कर सकता है यदि कोई करता है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लंघन है ।

अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत कोई भी सरकारी अधिकारी, सरकार किसी भी नागरिक को टिका लेने के लिए जबर्दस्ती नही कर सकती है , गैरकानूनी है यह , भुक्तभोगी न्यायालय जा सकते है।

यूनाइटेड स्टेट ऑफ़ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में Dr. Stanley Plotkin इनका कैमरा के सामने रिकार्डेड स्टेटमेंट है जिसमे उन्होंने एक्सेप्ट किया है की मैंने कोन कोनसे चीज़े डालकर आजतक के वैक्स बनाये है।

Link

www.youtube.com/watch?v=ZS0cYAFs2ps

अमेरिका जैसे देश में भी वैक्सीन कोर्ट है, वैक्सीन से साइड इफेक्ट होने ,पर परिवार को मुआवजा और सरकारी सुविधा भी मिलती है। भारत में कोई मुआवजा नहीं मिलता है

आप इसकी पुष्टि करते हुए हमें वैक्सीन से धर्मं के आधार पे छुट दे । और हमारे राज्य,जिला में वैक्सीन कोर्ट का स्थापना करें ताकि भुगतभोगी मुवावजा के लिए वहा मुकदमा कर सकें, वैक्सिन से भुक्तभोगी परिवार को आर्थिक मुआवजा मिलना चहिए कम से कम 20 करोड़ ,यह मुआवजा वैक्सीन निर्माता और सरकार द्वारा दे जानी चहिए भुक्तभोगी परिवार को।

धन्यवाद ।

नाम -

फोन -

पता -